न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कन्हैयालाल सोनगरा (आर. ए. एस.)

निगरानी सख्या – 12 / 2020
जीसीएमएस नम्बरः– 2020 / 00012

राजेश कुमार पुत्र श्री बुधराम जाति जाट निवासी हाल रोही पीपासर ग्राम राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरीता पत्नी श्री कवंरपाल पुत्री स्व. श्री रणवीर सिह जाति जाट निवासी वार्ड न. 08, रोही पीपासर ग्राम राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. विकास अधिकारी एंव सचिव प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पचायत समिति सूरतगढ़।
3. ग्राम पचायंत राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जरिये सरंपच।

– गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पचायतीराज अधि.

विरूद्व आदेश दिनाक 08.01.2020 विकास अधिकारी एंव सचिव, प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पचायत समिति सूरतगढ़

उपस्थित :– 1. श्री विष्णु शर्मा – अधिवक्ता निगरान कर्ता
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – गैर निगरानीकर्ता न. 1

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 15.05.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी के तथ्यो को दोहराते हूऐ निवेदन किया कि गैर निगरानीकर्ता न. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी एव सचिव प्रंशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति सूरतगढ के समक्ष दिनाक 12.12.17 को एक अपील इस कथन के साथ पेश की, कि अपीलार्थी का एक आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 208 गुणा 57 वर्गफीट वार्ड न. 08, रोही पीपासर ग्राम पचायत राजियासर स्टेशन में स्थित है, जिसका आसा पासा दर्ज करते हुये उपरोक्त भूखण्ड को अपने पिता स्व. रणवीर सिह द्वारा सन् 1983 में बतौर कब्जा क्रय किया था, उपरोक्त भूखण्ड पिता ने अपने जीवनकाल में अपीलाटा को घरेलू तौर पर दे दिया था, इस आवासीय घर का कब्जा पिता के जीवनकाल मे सरीता के पिता रणवीर का था व उनके फौत हो जाने के से इस आवासीय मकानो पर अपीलाटा का कब्जा चला आया, जो कि निर्मितशुदा है, आज से एक सप्ताह पूर्व रेस्पोडेट उसके भूखण्ड पर आया व कहा कि 50 गुणा 54 वर्गफीट का पट्टा उसने ग्राम पचायत से बनवा लिया है, अतः खाली कर दो वरना जबरदस्ती कब्जा ले लेगा, जबकि रेस्पोडेंट का कभी कब्जा नही रहा, आदि आदि कथन करते हुये पट्टा को निरस्त करने के कथन के साथ अपील पेश की, जिस पर जांच कमेटी नियुक्त कर रिपोर्ट मगंवाकर गलत तौर पर पट्टा को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया तथा नोटिस दिनाक 03.01.2020 जारी करने का दर्ज करते हुये व निगरानीकर्ता के हाजिर होकर कोई शपथ पत्र पेश ना करने का कथन दर्ज करते हुये आदेश दिनाक 08.01.2020 पारित किया गया है, जिसको निरस्त किया जावे।

अपील रजिस्टर किया जाकर गैर निगरानीकर्तागण को तलबी जारी की गई। निगरानीकर्ता की तरफ से श्री विष्णु शर्मा अधिवक्ता व गैर निगरानी कर्ता की तरफ से

P.T.O

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

श्री शीशपालशर्मा अधिवक्ता उपस्थित आए। सर्वप्रथम प्रा.पत्र आदेश 13 नियम 10सीपीसी पर बहस सुनी गई निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश सूरतगढ में वाद संख्या 96/2017 व अस्थाई वाद में प्रा.पत्र 92/17 मय दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया था जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 2.8.2019 को खारिज फरमाया गया तथा वाद दिनांक 01.11.2019 को आदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया। माननीय न्यायालय में विचाराधीन निगरानी मे पेश दस्तावेज व कथन तथा सिविल न्यायाधीश सूरतगढ में पेश किये गये दस्तावेज व कथन सरिता द्वारा दिये गये जवाब व दस्तावेज के मध्यनजर प्रारूपित भिन्नता लिये हुए है। अतः माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश न्यायालय के अभिलेखागार श्रीगांगनर से मंगवाई जावे।

वकील गैरनिगरानीकर्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने दावा व प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 10(2) सीपीसी के अनुसार सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रति जो नहीं प्राप्त की जा सकती है उन दस्तावेजो को तलब करने का न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा तलब करवाये जा रहे वाद व टीआई की प्रमाणित प्रतियां पेश कर सकता है। प्रार्थी ने जानबूझकर पेश नहीं की है। इसलिये प्रार्थना पत्र पूर्णतया आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार पत्रावली मैरिट बहस पर है अतः इस समय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 10सीपीसी अस्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस सुनी गई। जिस पर गैरनिगरानीकर्ता न. 1 की और से निगरानी का जवाब मय अतिरिक्त आपत्तियॉ पेश करते हुये निवेदन किया कि अपीलाट राजेश कुमार ने गैरनिगरानी कर्ता न. 1 सरिता के पिता के नाम के रिहायशी मकान का पट्टा सरंपच ग्राम पचायंत से मिलकर अपने नाम से राजस्थान पचायंती राज अधिनियम के नियमो के विपरीत जारी करवा लिया था उस पट्टे को निरस्त करवाने के लिये अप्रार्थीया ने मातहत न्यायालय में अपील पेश की थी जिसका विधी सम्म्त् निर्णय देते हुये मुझ गैर निगरानीकर्ता की अपील स्वीकार कर निगरानीकर्ता राजेश कुमार का विधी विरूद्व तरीके से तैयार पट्टा को निरस्त किया है राजेश कुमार इस गॉव का वासीन्दा नही है । इस प्लाट का पटटा बनाने के बाद यहॉ का राशनकार्ड व पहचान पत्र बनाया है । निगरानीकर्ता राजेश व उसके माता –पिता गॉव संघर तह सूरतगढ के रहने वाले है व नियम 157 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 मे गॉव के पुराने वासीदे जो 50 या ज्यादा वर्शो से रहते है व उनके रिहायशी मकानो का विनीयमितीकरण किया जा सकता है, परन्तु निगरानीकर्ता ने गैरनिगरानीकर्ता के पैतृक रिहायसी मकानो का पटटा अपने नाम से बना लिया है तथा ग्राम पंचायत ने आपतिनोटिस मे नक्शा बिना दर्ज करवावे अखबार मे सुचना जारी की है तथा पटटा कि मिसल भी एक ही दिन मे एक पैन से तैयार की है तथा आवेदन शुल्क भी पटटा जारी करने की तारीख को प्राप्त की व निगरानीकर्ता अब हमारी रिहायसी मकानो मे जबरिया प्रवेश करने की कोशिश की तब मूझे इस पटटे की जानकारी हूई व जानकारी होते ही मेरे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 61 पंचायती राज एक्ट मे पेश कर दी व अधिनस्थ न्यायालय मे निगरानीकर्ता स्वय हाजिर होकर जबाब पेश किया है जो अधिनस्थ न्यायलय के रिकार्ड मे शामिल है तथा उसने अधिनस्थ न्यायालय मे मियाद के प्रशन पर कोई आपति पेश नही की तथा निगरानी कर्ता के नाम का पटटा शुरू से शुन्य है जिसमे मियाद आड़े नही आती व गैर निगरानी कर्ता मृतक रणवीर की पुत्री है । गैर निगरानी कर्ता व उसके भाई बहिनो की शादी इसी घर मे हूई थी व इसी घर मे गैर निगरानी कर्ता रणवीर का स्वर्गवास इसी घर मे दिनांक 03.06.2010 को हूआ था व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 18:45:53 IST
Reason: SelfAttested

रिक्त जिला कलक्टर
गढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

गैर निगरानीकर्ता की माता चन्द्रकला का स्वर्गवास भी दिनांक 14.01.2011 को इसी घर मे हुआ था व बिजली के बिल व पानी के बिल आज भी गैर निगरानी कर्ता के स्वर्गीय पिता रणवीर के नाम से आते है जो गैरनिगरानीकर्ता ही जमा करवाती है । निगरानी कर्ता राजेशकुमार ने गैरनिगरानीकर्ता के इस रिहायशी घर मे कब्जा करने के लिये लडाई झगड़ा किया व इस प्लाट मे रह रहे किरायेदारो के साथ मारपीट की तो निगरानीकर्ता के खिलाफ मुकदमा न 35/2021 दर्ज करवाया था जिसके अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट अर्तगत धारा आईपीसी 1860 सैक्शन 452, 323, 435,354 (क)(1)(।),147,149 पेश हो चुके है जिनकी प्रमाणित प्रति संलग्न जबाब निगरानी है। इसलिये मातहत न्यायालय का फैसला पूर्णतया विधी सम्मत् होने से रखने योग्य है तथा पचायत समिति के प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील का प्रावधान है तो निगरानी नही पेश की जा सकती। पचायती राज. एक्ट की धारा 97 क के अनुसार द्वितीय अपील का प्रावधान है इसलिये निगरानी खारिज योग्य है।

निगरानी मे अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर उभय पक्ष की वहस सुनी गई । अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय ने उसकी पीठ के पीछे विना सुचना दिये निर्णय करने का व अपील मियाद बाहर होने का आरोप लगाया व पटटा जारी होने के बाद उप पंजीयक से पंजीयन हो जाने से पटटा निरस्त करने का अधिकार पंचायत समिति के विकास अधिकारी या सचिव प्रंशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति सूरतगढ को नही है क्योकि पटटा पंजीकृत होने से वह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के अनुसार सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। इसलिये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया । निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया कि मातहत न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक नियम में एक जांच कमेटी का गठन किया था जांच कमेटी द्वारा दिनांक 02.10.2019 को अपनी मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई जिस जांच कमेटी का गठन किया गया था उसमें दो सदस्य अलग थे तथा जो कमेटी मौका जांच करने गई थी उसमें सदस्य अलग थे जो विधि अनुरूप नहीं है अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निवेदन किया कि निगरानीकर्ता ने गैरनिगरानी कर्ता के रिहायशी प्लाट/मकानो का पटटा बना लिया है जबकि वो स्वयं संघर गॉव का निवासी है वो या उसके माता–पिता कभी राजियासर स्टेशन नही रहे । निगरानीकर्ता पटटा बनाने की कोई शर्त पुरी नही करता है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत राजियासर से जारी पटटे को निरस्त किया है, किसी अनुबन्ध को नही। पटटा शुरू से शुन्य है ऐसे आदेशो को निरस्त करने के लिये मियाद आड़े नही आती है तथा निगरानकर्ता को मियाद का प्रश्न पर मातहत न्यायालय मे पेश करनी थी कानुनी नजीर आरआरडी 2005 पेज 627, आरआरटी 2009 पेज 468, आरआरडी 1995 पेज 576, आरआरडी 1993 पेज 502, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1998 पेज 319 में विभिन्न न्यायालयो द्वारा उद्वार दृश्टिकोण रखने हुये विलम्बं माफ किया गया है। गैर निगरानीकर्ता मृतक रणवीर की पुत्री है उसे उसके पिता के फौत हो जाने के बाद अपने पिता के प्लाट में से हिस्सा प्राप्त हुआ है गैरनिगरानीकर्ता के हिस्से के प्लाट/मकानो का पटटा बनाने का निगरानीकर्ता को कोई हक नही है। निगरानीकर्ता के नाम के पट्टा में आबादी भूमि का व वार्ड अकिंत नही है केवल आसा पासा जो गैरनिगरानीकर्ता के रिहायशी प्लाट का आसा पासा होने से ग्राम पंचायत राजियासर स्टेशन ने गैर कानुनी तरीके कार्यवाही करके निगरानीकर्ता के नाम से पटटा जारी किया है, अधिनस्थ न्यायालय ने विधी सम्मत तरीके से निर्णय करके पटटा खारीज किया है तकनीकी त्रृटि से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त नही किया जा सकता। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधी सम्मत होने से निगरानीकर्ता की निगरानी को निरस्ती करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। निगरानीकर्ता ने इस न्यायालय में या अधिनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि निगरानीकर्ता के माता पिता आबादी भूमि राजियासर स्टेशन में निवास करते हो। स्वयं निगरानीकर्ता के फोटो पहचान पत्र में 1989 की जन्मतिथि अकिंत है इससे यह साबित है कि निगरानीकर्ता इस अधिनियम के लागू होने यानि 1996 से 25 साल पहले का वाशिन्दा नही है या उसके माता पिता इस गॉव के पुराने वाशिन्दा नही है। प्रकरण में उपलब्ध एफआईआर न. 35/03.03.2021 जिसका चालान दिनाक जरिये चार्ज शीट सख्या 59 दिनाक 30.04.2021 को पेश हुआ है। जिसमें निगरानीकर्ता राजेश कुमार पुत्र बुधराम व मनोज कुमार पुत्र जगदीश निवासी संघर व सुरेन्द्र कुमार पुत्र कृश्णलाल निवासी मोकलसर के खिलाफ धारा 452, 323, 354क, 435, 147, 148 में पेश किया है। जिसमें राजेश कुमार वर्तमान पता राजियासर स्टेशन तथा स्थाई पता ग्राम सघंर तहसील सूरतगढ ने धार धार हथियारो से दरवाजा तोडकर घर में जबरिया घुसकर इस घर में रहने वाले लोगो के साथ में मारपीट की है। इससे यह साबित है कि इन रिहायशी मकानो में कभी भी राजेश का कब्जा नही रहा है तथा लाईट – पानी का बिल आज भी गैरनिगरानीकर्ता जमा करवाती आ रही है व उन्ही के पुराने रिहायशी मकानो/घर का पटटा निगरानीकर्ता ने अपने नाम से बनाया है। जैरप्रकरण मकानो के आस पास गैरनिगरानीकर्ता के चाचा व उनके परिवार के सदस्यो का रिहायशी मकान है इस मकान में गैरनिगरानीकर्ता के माता पिता का पूर्व में रहना साबित हो रहा है। इसलिये निगरानीकर्ता को किसी दुसरे के घर का पटटा बनवाने का अधिकार नही है। जहा तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है अगर निगरानीकर्ता को कोई आपत्ति थी तो वो अधिनस्थ न्यायालय में रिव्यू पेश कर सकता था या आदेश 09 नियम 13 सीपीसी में प्रार्थना पत्र पेश कर सकता था अधिनस्थ न्यायालय में वो स्वंय उपस्थित होकर अलग अलग तारीखो में जवाब प्रस्तुत किया है इसलिये यह कथन कतई मान्य नही है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उसकी सुनवाई नही की है। गैरनिगरानीकर्ता ने सिविल न्यायालय से अपील दर्ज होने के बाद में अस्थाई निशेधाज्ञा का दावा पेश किया था जो बाद में अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त हो चुका था तथा इस दावा से अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय करने से रोका नही जा सकता था। निगरानीकर्ता ने अपने नाम से ग्राम पचायत राजियासर स्टेशन से पचायती राज. अधिनियम 1994 के नियम 1996 के प्रावधानो के विपरीत जाकर अपने नाम से गैरनिगरानी कर्ता के मकानो/घर का पटटा सख्या 27 बुक सख्या 169 दिनाक 18.07.2017 को बनाया है जिसको निरस्त करने में गैरनिगरानीकर्ता सख्या 2 ने कोई त्रुटि नही की है। इसलिये हम निगरानीधीन निर्णय को यथावत् रखना उचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ता की यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner